

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) लूणकरणसर

निर्णय

मिसल नम्बर - 17/2019

दिनांक- 07/6/2019

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ^{124/21} ने शिर्षट्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सम्वत् 2025 में गैर सायल निरामय राम पुत्र श्री गंड राम जाति 111 साकिन 21591 में ग्राम 21591 के ख0नं0 130 रकबा 0:02 1/2 में नाजायज कर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी निरामय राम को राज0 मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि वाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधित गैर सायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषप्रद नही होने के कारण गैर सायल श्री निरामय राम पुत्र श्री गंड राम जाति 111 साकिन 21591 को ग्राम 21591 के ख0नं0 130 रकबा 0:02 1/2 में अतिचार करने पर राज.मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण घोषित किया जाता है, तथा मू-राजस्व दर 0:02 का 50 गुणा 0.1 रूपये शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखली करने के आदेश दिये जाते हैं।

बेदखली बाबत संबधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/6/2019 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फंसल मुनार होकर दाखिल दफ्तर हो।

3
तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरणसर